

मुकाम

वाह

बनाम रामचंद्र

करम मुकदमा

नं.

सन्.

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए

14/05/2018

लोक अदालत का हुकम (वादी व प्रतिवादीगण को बुलाया गया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का आवलोकन व मनन किया गया) दोनों पक्षों को लोक अदालत आगता से समझाया की गयी। प्रतिवादीगण द्वारा वादी को खातेदारी अधिकार दिये जाने हेतु लोक अदालत आगता से शर्तनामे उपर पर हस्ताक्षर कर पेश करते हुए सहमति शर्त की गयी। वादी द्वारा विवेदन किया गया कि माँगा कुशाहिया पर 80 फीट का तहखाने की वर्तमान आरजी संख्या 98 रकबा 3.0700 हेक्टा आरजी के सैटलमेंट से पूर्व के आरजी 22, 23, 25 के नये नंबर 98 रकबा 3.0700 हेक्टा एवं कुशाहिया वादी सैटलमेंट से पूर्व वादी के पितृमह के माध्यम से 2021 से 24 की जमाबंदी में 1/4 एक हिस्सा (4 बीघा 8 बीघा मंसू) व 2024 से 27 की जमाबंदी में भी 1/4 हिस्सा आरजी में एवं रेकोर्ड उपर वादी का पहलूक रूप से रकबा आहर-चला आ रहा है व 2028 की जमाबंदी में भी वादी के पितृमह व अन्य सहजमेवत का काम सैटलमेंट जमाबंदी में बदलकर चला आ रहा था लेकिन सैटलमेंट अधिकारियों की बदली से वादी के पिता का काम प्रजसब रेकोर्ड में एवं वहीं ही रखा, जिसे अमल करामद करने हेतु विवेदन किया गया है।

नि. माधु
नि. वाह
नि. चण्डावात
नि. मोहनवात
राम चंद्र

